

प्रेस ब्रीफ – लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा) 2019-20

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा) राजस्थान सरकार राज्य विधानसभा के पटल पर दिनांक 14.09.2021 को रखा जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति को सौंप दिया जाता है।

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं:

भाग-क में राजस्व उपार्जन विभागों यथा वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा राज्य आबकारी की लेखापरीक्षा के दौरान की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।

भाग-ख में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किये गये व्ययों पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।

भाग – क राजस्व क्षेत्र

I. सामान्य

- राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2018-19 में ₹ 1,37,873 करोड़ के समक्ष वर्ष 2019-20 में ₹ 1,40,114 करोड़ थीं। सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व राशि ₹ 74,959 करोड़ में कर राजस्व ₹ 59,245 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 15,714 करोड़ शामिल था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 65,155 करोड़ (विभाजन योग्य केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 36,049 करोड़ एवं सहायता अनुदान ₹ 29,106 करोड़) थीं।

(अनुच्छेद 1.1)

- मार्च 2020 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इन चार विभागों में 1,727 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 5,151 अनुच्छेद अक्टूबर 2020 के अंत तक बकाया थे जिनमें ₹ 1,053.38 करोड़ अन्तर्निहित थे।

(अनुच्छेद 1.8)

II. बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

- शाखा हस्तान्तरण द्वारा राज्य से बाहर भेजे गये माल पर आगत कर का अधिक लाभ ₹ 0.41 करोड़ अनुमत्य किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.1)

- रियायती मूल्य पर माल के विक्रय पर आगत कर ₹ 0.37 करोड़ अनियमित रूप से अनुमत्य किया जाना।

(अनुच्छेद 2.4.2)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा क्रय वापसियों को हिसाब में लेने में विफलता के परिणामस्वरूप रिवर्स कर ₹ 2.15 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.3)

- कर निर्धारण प्राधिकारी कुल कर दायित्व निर्धारण की गणना हेतु रिवर्स कर दायित्व को जोड़ने में विफल रहे तथा त्रुटिपूर्ण रूप से वैट के अन्तर्गत अधिक राशि ₹ 0.42 करोड़ को सीएसटी बकाया के समायोजन के लिए अग्रेषित किया।

(अनुच्छेद 2.4.4)

- गैर अनुमत्य सामान पर आगत कर का लाभ देने के परिणामस्वरूप ₹ 0.54 करोड़ के आगत कर की अनियमित स्वीकृति दी गयी।

(अनुच्छेद 2.4.5)

- एक व्यवहारी द्वारा शून्य बिक्री के साथ विवरणियां प्रस्तुत की गयी किन्तु वास्तव में अन्य पंजीकृत व्यवहारियों को माल विक्रय किया गया तथा कर संग्रहित किया गया, जिसके लिए कर दायित्व का निर्धारण नहीं किया गया, परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 0.40 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.20 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

- एक व्यवहारी द्वारा अपनी विवरणियों में सकल पण्यावर्त ₹ 13.16 करोड़ घोषित किया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी ने 'शून्य' कर के लिए निर्धारण आदेश पारित किया जिसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 0.45 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

- राज्य के बाहर से क्रय किये गये माल का उपयोग, कार्य जिसके लिए कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, में किया तथा कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 0.39 करोड़ तथा ब्याज ₹ 0.15 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.8)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रवेश कर आरोपण हेतु वेब आधारित एप्लीकेशन राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर राशि ₹ 2.87 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1.63 करोड़ का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.9)

- माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत अप्रयुक्त आगत कर ₹ 0.91 करोड़ के अनियमित प्रतिदाय के अतिरिक्त ब्याज ₹ 0.32 करोड़ एवं शास्ति ₹ 0.09 करोड़ का अनारोपण हुआ ।

(अनुच्छेद 2.10.2)

III. भू-राजस्व

- झालावाड जिले में उद्योग की स्थापना हेतु आवंटित भूमि को निर्धारित समय में अभिप्रेत उद्देश्य हेतु उपयोग में नहीं लिया गया । तथापि, आवंटन प्राधिकारियों द्वारा भूमि को वापस लेने हेतु कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई । जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.11 लाख मूल्य की भूमि अनुपयोगी रही ।

(अनुच्छेद 3.4)

- जैसलमेर जिले के 26 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति के बिना ही कृषि भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन (होटल एवं रिसोर्ट हेतु) हेतु उपयोग में ली जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप संपरिवर्तन शुल्क ₹ 81.94 लाख की वसूली का अभाव रहा ।

(अनुच्छेद 3.5.1)

- दो तहसीलों के पांच प्रकरणों में कृषि भूमि सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति के बिना ही आवासीय कॉलोनियों की स्थापना हेतु उपयोग में ली जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप संपरिवर्तन शुल्क ₹ 35.59 लाख की वसूली का अभाव रहा ।

(अनुच्छेद 3.5.2)

- कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन के संस्थागत प्रयोजनार्थ, ईट भट्टे, विवाह स्थल हेतु उपयोग में लिए जाने तथा गलत दरें लागू करके कृषि भूमि का संपरिवर्तन करने के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन शुल्क ₹ 1.27 करोड़ की वसूली का अभाव/कम वसूली रही ।

(अनुच्छेद 3.5.3)

- कृषि से संस्थागत प्रयोजनार्थ भू-उपयोग संपरिवर्तन पर गलत संपरिवर्तन दर लागू करने के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन शुल्क ₹ 58.08 लाख की कम वसूली रही ।

(अनुच्छेद 3.5.4)

IV. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

- कम्पनियों के सीमित दायित्व भागीदारियों में परिवर्तन पर मुद्रांक कर ₹ 23.75 लाख का अनारोपण रहा ।

(अनुच्छेद 4.4)

- मुस्तयारनामा के दस्तावेजों के विवरणों पर संज्ञान लेने में विफलता के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.44 करोड़ का कम आरोपण रहा।
(अनुच्छेद 4.5)
- गलत हकदारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर ₹ 76.97 लाख की अनियमित छूट अनुमत की गई।
(अनुच्छेद 4.6)
- ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेंट के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 15.99 लाख की कम वसूली रही।
(अनुच्छेद 4.7)
- भू-स्वामियों एवं विकासकर्ताओं के मध्य निष्पादित विकासकर्ता अनुबन्धों पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 3.32 करोड़ की कम वसूली रही।
(अनुच्छेद 4.8)
- पंजीयन प्राधिकारी, साझेदारी फर्मों को अचल सम्पत्तियों के अंशदान पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 34.79 लाख का आरोपण एवं वसूली करने में विफल रहे।
(अनुच्छेद 4.9.1)
- पंजीयन प्राधिकारी, साझेदारों की सेवानिवृत्ति पर अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 64.83 लाख का आरोपण एवं वसूली करने में विफल रहे।
(अनुच्छेद 4.9.2)
- कम्पनियों के सम्मेलन/पुनर्गठन पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 47.87 लाख का कम आरोपण रहा।
(अनुच्छेद 4.10)
- अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 3.33 करोड़ का कम आरोपण रहा।
(अनुच्छेद 4.11)

V. राज्य आबकारी

- भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा के लिए रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से अतिरिक्त राशि ₹ 2.65 करोड़ की वसूली नहीं हुई।
(अनुच्छेद 5.4)

- परिधीय क्षेत्र की दुकानों के लिए कम्पोजिट फीस की गलत गणना के परिणामस्वरूप राजस्व राशि ₹ 1.23 करोड़ की कम प्राप्ति ।
(अनुच्छेद 5.5)
- विभाग द्वारा सक्रिय कार्यवाई के अभाव में होटल बार अनुज्ञाधारियों से अनुज्ञा शुल्क ₹ 31 लाख की कम वसूली ।
(अनुच्छेद 5.6)
- बीयर उत्पादन के लिए ब्रेवरीज द्वारा न्यूनतम प्राप्ति दक्षता का संधारण न करने पर शास्ति ₹ 7.94 करोड़ की कम वसूली ।
(अनुच्छेद 5.7)
- देशी मदिरा समूहों से प्रतिभूति जमा एवं अग्रिम एकांकी विशेषाधिकार राशि जप्त न करने के कारण राजस्व ₹ 77.31 लाख की हानि ।
(अनुच्छेद 5.8)
- देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से मासिक गारंटी राशि की कम वसूली से राजस्व ₹ 13.37 करोड़ की हानि ।
(अनुच्छेद 5.9)

भाग - ख व्यय क्षेत्र

VI. सामान्य

- राजस्थान सरकार के 66 विभाग, 234 स्वायत्तशाषी निकाय एवं 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिनकी लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है ।
(अनुच्छेद 6.1)
- वर्ष 2019-20 के दौरान सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 22,016 इकाइयों में से 951 इकाइयों की लेखापरीक्षा आयोजित की गई । आगे, 19,693 मानव दिवस (वित्तीय लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु) उपयोजित किये गये ।
(अनुच्छेद 6.3)
- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये गये विभिन्न विभागों से संबंधित अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा पर बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों (एक्शन टेकन नोट्स) की समीक्षा में पाया गया कि 31 जनवरी 2021 को संबंधित विभागों से 13 क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ लम्बित थीं ।
(अनुच्छेद 6.6)

VII. व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने एक निर्माण संविदा में अतिरिक्त व्यय को राजस्थान लोक-उपापन में पारदर्शिता नियमों की अनुमत्य सीमा में रखने के लिए कतिपय मदों को अमान्य किया। बाद में, विश्वविद्यालय ने संविदा की शर्त एवं लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर नई निविदा में इन मदों को उसी संवेदक से पुनः निष्पादित करवा लिया।

(अनुच्छेद 7.1)

- कर्मचारी राज्य बीमा योजना (क.रा.बी.योजना), कर्मचारियों को बीमारी, प्रसव, नौकरी के दौरान लगी चोट के कारण मृत्यु अथवा अपंगता तथा रोजगार जनित रोगों जैसी घटनाओं के दुष्प्रभावों के विरुद्ध रक्षा करने तथा बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गयी थी। योजना का प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.निगम) नामक निगमित निकाय द्वारा किया जाता है। योजना, योजनान्तर्गत आवरित कर्मचारियों तथा उनके नियोक्ताओं से, वेतन के नियत प्रतिशत रूप में, एकत्रित किये गए अंशदान से वित्त पोषित है। राज्य में क.रा.बी.योजना के प्रसार के लिए सभी बीमितों का आवरण एवं बीमितों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु 'ई.एस.आई.सी. 2.0' के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार कार्यान्वित नहीं किये गए। अधिकतम स्वीकार्य व्यय में से अप्रयुक्त 60.63 प्रतिशत भाग का राज्य सरकार द्वारा मानव शक्ति के प्रबंधन तथा बीमितों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं हेतु उपयोग नहीं किया गया। चिकित्सा विशेषज्ञों/अधिकारियों एवं पैराचिकित्सा कर्मियों जैसे-नर्सिंग स्टाफ, भेषजज्ञ आदि की कमी के कारण चिकित्सालय/औषधालय अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर सके। चिकित्सालयों/औषधालयों में आधारिक संरचना व प्रयोगशाला सुविधाओं का अभाव था। इसके परिणामस्वरूप, ओ.पी.डी./आई.पी.डी. में आने वाले रोगियों की संख्या में कमी हुई तथा रोगियों को आधारभूत जांच/परीक्षण एवं विशेषज्ञ सुविधाओं हेतु अनुबंधित/राजकीय चिकित्सालयों को रेफर करना पड़ा। यद्यपि क.रा.बी.निगम ने चिकित्सालय प्रबंधन हेतु आई.टी. परियोजना प्रारंभ की जिसे क.रा.बी.योजना द्वारा पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सका। योजना के अंतर्गत चिकित्सालय/औषधालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 58 (5) के अंतर्गत क.रा.बी.समिति का गठन किया जाना था। इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारित अधिकतम सीमा तक सम्पूर्ण व्यय तीन वर्ष के लिए क.रा.बी.निगम वहन करेगा, राज्य सरकार द्वारा सहायक समिति का गठन नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.2)

- चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत भार में वृद्धि हेतु आवेदन करने में विफल रहने के कारण चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सालयों द्वारा डिमान्ड सरचार्ज का परिहार्य भुगतान तथा विद्युत शुल्क का अनियमित भुगतान कुल राशि ₹ 1.40 करोड़।

(अनुच्छेद 7.3)

- चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर कार्यवाही के अभाव में रियायत शुल्क और भुगतान में विलम्ब पर दंडात्मक ब्याज की कम प्राप्ति, अप्रयुक्त बी.पी.एल. कोटे से संबंधित राशि की

कम वसूली एवं परिणामस्वरूप निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को अदेय लाभ पहुँचने से राज्य सरकार को ₹ 5.09 करोड़ के राजस्व की हानि ।

(अनुच्छेद 7.4)

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियमों के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन पर ₹ 3.72 करोड़ का अनियमित व्यय ।

(अनुच्छेद 7.5)

- अल्पसंख्यक मामलात विभाग तथा वक्फ बोर्ड द्वारा लाभार्थियों से ऋण की वसूली में विफलता और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को पुनर्भुगतान के लिये निधियों के अनियमित उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ का परिहार्य दंडात्मक ब्याज ।

(अनुच्छेद 7.6)

- सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग में निदेशालय भवन के निर्माण स्थल को परिवर्तित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय और पुनर्वास एवं शोध संस्थान भवन के अपूर्ण रहने के कारण न केवल ₹ 3.27 करोड़ का केन्द्रीय अनुदान अनुपयोगी रहा एवं ₹ 5.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, बल्कि लाभार्थियों को आठ से अधिक वर्षों के व्यतीत होने के उपरांत भी अभिप्रेत लाभों से वंचित होना पड़ा ।

(अनुच्छेद 7.7)

- सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग में उपापन नियमों की पालना न करने और कमजोर अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अकार्यशील रहे सोलर होम लाइटिंग संयंत्रों पर ₹ 1.24 करोड़ का निष्फल व्यय ।

(अनुच्छेद 7.8)

- सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग में अनुबन्ध निष्पादन और निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित उपापन नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप अकार्यशील रहे 256 सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों पर ₹ 2.98 करोड़ का निष्फल व्यय ।

(अनुच्छेद 7.9)

- जल संसाधन विभाग ने शहरी क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर का भुगतान करते समय गलत ढंग से ग्रामीण क्षेत्र का गुणक कारक प्रयुक्त किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ ।

(अनुच्छेद 7.10)

- जल संसाधन विभाग में लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का घोर उल्लंघन करके ₹ 1.55 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों का अनधिकृत निष्पादन ।

(अनुच्छेद 7.11)